जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-08.05.2025**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी/कच्ची शराब बरामदः-

दिनांक 07.05.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 03 अलग-अलग स्थानों से 03 अभियुक्तगण को अवैध देशी/कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.साहिल पुत्र रकमुद्दीन निवासी मौहल्ला कलन्दर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.उमर पुत्र असगर निवासी निकट चांद मस्जिद मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.गफ्फार उर्फ काला पुत्र कय्यूम निवासी निकट राजोवाली मस्जिद मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.देशी शराब की 08 बोतलें (हरियाणा राज्य में बिक्री हेतु)।

2.देशी शराब के 15 पव्वे।

3.अवैध 05 लीटर कच्ची शराब।

<u>थाना कोतवाली पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लाए "थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में" अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू बरामदः-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 21.04.2025 को वादिया स्वाति पुत्री रामफल निवासी मौहल्ला बड़ी आल बैण्ड मार्किट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली नें अपने भाई सन्नी पर अभियुक्त आलोक पुत्र श्यामलाल निवासी मौहल्ला शतिवाला मन्दिर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर गम्भीर रुप से घायल करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।।

उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त आलोक पुत्र श्यामलाल निवासी मौहल्ला शतिवाला मन्दिर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा दिनांक 24.04.2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था। जिसके बाद विवेचनाक्रम में जिला कारागार मुजफ्फरनगर जाकर अभियुक्त आलोक उपरोक्त से पूछताछ की गयी। इसी क्रम में माननीय न्यायालय से उपरोक्त अभियुक्त की पीसीआर प्राप्त कर अभियुक्त आलोक उपरोक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू बरामद हुआ है। बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रहे है।

<u>नाम व पता अभियुक्त-</u>

1.आलोक पुत्र श्यामलाल निवासी मौहल्ला शतिवाला मन्दिर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ऊंचागांव में अवैध हथियार से फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साईकिल बरामद ।</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 23.04.2025 को श्री सुन्दर पुत्र स्व0 रकम सिंह निवासी ग्राम उंचागाव थाना कैराना जनपद शामली के भाई व भाभी रामपाल, सुदेश पर अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौच कर अवैध हथियार से फायरिंग कर जानलेवा हमला व जान से मारने की धमकी व मोटर साईकिल चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 08.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ऊंचागाव में गाली गलौच कर अवैध हथियार से फायरिंग कर जानलेवा हमला करने व जान से मारने की धमकी देने व मोटर साईकिल चोरी की घटना में वांछित अभियुक्त को घटना में चोरी की गयी मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त रितिक पुत्र परविन्दर निवासी ग्राम ऊंचागांव थाना कैराना जनपद शामली को अवैध हथियार व कारतूस सहित थाना कैराना पुलिस द्वारा दिनाँक 03.05.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.गौरव पुत्र अरुणदेव निवासी ग्राम ऊंचागांव थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.चोरी की गयी मोटर साईकिल यामहा R15 रजि0नं0 UP19S7345 ।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 5,050/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2020 में अभियुक्त सचिन पुत्र रामवीर निवासी ग्राम भैंसवाल थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 153/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2020 में अभियुक्त सचिन पुत्र रामवीर निवासी ग्राम भैंसवाल थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 154/2020 धारा 414 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 2006 में अभियुक्त अलीहसन पुत्र भोला निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 262/2006 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,050/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI